भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1757**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**महिलाओं एवं बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं**

**1757. श्री जी॰सी॰ चन्द्रशेखरः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल कौन-कौन सी हैं;

(ख) सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और संरक्षा हेतु कौन-कौन से उपाय किए गए हैं;

(ग) संतप्त महिलाओं और बच्चों को मुख्य धारा में लाए जाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उस राज्य में मंत्रालय द्वारा आवंटित और व्यय की गई धनराशि सहित कर्नाटक में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं?

**उत्‍तर**

 डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ख) : देश में महिलाओं और बच्‍चों की सुरक्षा एवं संरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। मंत्रालय महिलाओं एवं बच्‍चों के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करने हेतु प्रभावी तंत्र स्‍थापित करने का प्रयास कर रहा है। महिलाओं और बच्‍चों के विरूद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्‍न कदम उठाए गए हैं। इन पहलों/स्‍कीमों का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है :

1. किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों तथा कानून का उल्‍लंघन करने वाले बच्‍चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्राथमिक कानून है। देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के संरक्षण के लिए समर्पित संरचनाओं, सेवाओं एवं कार्मिकों का एक सुरक्षा जाल सृजित करने तथा बच्‍चों के दुरूपयोग, शोषण तथा उनके परिवारों से अलगाव का मार्ग प्रशस्‍त करने वाली स्‍थितियों एवं कार्रवाइयों के प्रति भेद्यता में कटौती के उद्देश्‍य से बाल संरक्षण सेवा स्‍कीम कार्यान्‍वित की जा रही है।
2. बाल दुरूपयोग की समस्‍या पर लगाम लगाने के लिए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम 2012 में प्रभावी प्रावधान है। अधिनियम अनिवार्य रिपोर्टिंग, बयान एवं साक्ष्‍य दर्ज करने के लिए बालोनुकूल प्रावधानों तथा मामलों की शीघ्रता से सुनवाई का प्रावधान करता है।
3. कार्यस्‍थल पर यौन अपराधों से महिलाओं का संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 का उद्देश्‍य महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं निरापद कार्यपरिवेश प्रदान करना है। अधिनियम सभी कार्यस्‍थलों सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में संगठित हो या असंगठित, पर यौन उत्‍पीड़न के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है तथा सभी महिलाओं को शामिल करता है, उनकी आयु या रोजगार का स्‍तर जो भी हो। घरेलू कामगार भी अधिनियम के दायरे में शामिल हैं।
4. नया सी-बॉक्‍स पोर्टल सरकारी एवं निजी कर्मचारियों सहित देश में सभी महिला कर्मचारियों को कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न की शिकायतें ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करता है।
5. सरकार ने अखिल भारतीय 24X7 हेल्‍पलाइन नं. 112 पर आधारित एक आपातकालीन प्रतियुत्‍तर सहायता प्रणाली विकसित करने की परियोजना शुरू की है जो कॉल/एसएमएस/ई-मेल/पेनिक बटन आदि के माध्‍यम से सुगम्‍य होगा।
6. भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने वाली पहलों के कार्यान्‍वयन के लिए निर्भया निधि नामक एक समर्पित निधि स्‍थापित की है।

 मंत्रालय देश में महिलाओं एवं बच्‍चों की सुरक्षा, संरक्षा एवं विकास के लिए विभिन्‍न स्‍कीमें चला रहा है जिनका ब्‍यौरा नीचे दिया गया है :

1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** एक व्‍यापक कार्यक्रम है, जो घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) तथा पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्‍तीकरण से संबद्ध मुद्दों के समाधान के लिए कार्यान्‍वित किया जा रहा है ।
2. **स्‍वाधार गृह** का उद्देश्‍य निराश्रित महिलाओं तथा विपदाग्रस्‍त महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है ।
3. **उज्‍ज्‍वला** अवैध मानव व्‍यापार की रोकथाम तथा वाणिज्‍यिक एवं शोषण के लिए अवैध मानव व्‍यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन:एकीकरण तथा प्रत्‍यावर्तन के लिए एक व्‍यापक स्‍कीम है ।
4. **कामकाजी महिला हॉस्‍टल** निवास के अपने स्‍थान से दूर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सस्‍ता आवास प्रदान करता है । इन हॉस्‍टलों में अंत:वासियों के बच्‍चों के लिए दिवा देखरेख की सुविधाएं भी होती हैं ।
5. **महिला शक्‍ति केंद्र स्‍कीम** छात्र स्‍वयं सेवकों की भागीदारी द्वारा सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्‍यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्‍त बनाती है ।
6. **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण के सुधार के लिए नकद प्रोत्‍साहन प्रदान करके बेहतर अनुकूल परिवेश तैयार करने में योगदान करती है ।
7. **जैंडर बजटिंग स्‍कीम** आयोजना, बजटिंग, कार्यान्‍वयन, प्रभाव मूल्‍यांकन के विभिन्‍न चरणों पर जैंडर परिप्रेक्ष्‍य को शामिल करने तथा नीति/कार्यक्रम के उद्देश्‍यों एवं आबंटनों की समीक्षा करने के लिए एक साधन के रूप में कार्यान्‍वित की जा रही है । यह स्‍कीम संस्‍थानिक तंत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्‍न हितधारकों के प्रशिक्षण में मदद करती है ताकि केंद्र सरकार एवं राज्‍य सरकारों में लैंगिक सरोकारों को शामिल किया जा सके ।
8. **महिला हैल्‍पलाइन** परिवार, समुदाय, कार्यस्‍थल सहित सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में यौन अपराध एवं उत्‍पीड़न सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चौबीस घंटे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन प्रत्‍युत्‍तर प्रदान करता है ।
9. **वन स्‍टॉप सैंटर** निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे समेकित सहायता एवं मदद प्रदान करने के लिए देश में चरणबद्ध ढंग से स्‍थापित किए जा रहे हैं ।
10. गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलेंटियर तैनात करने की परिकल्‍पना की है, जो पुलिस और समुदाय के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगे और विपदाग्रस्‍त महिलाओं की मदद करेंगे ।
11. **राष्‍ट्रीय शिशु गृह स्‍कीम** कामकाजी महिलाओं जो रोजगार प्राप्‍त हैं, के 6 माह से 6 वर्ष के बच्‍चों को दिवा देख रेख की सुविधाएं प्रदान करती है।
12. **किशोरियों हेतु स्‍कीम** का उद्देश्‍य 11-18 आयु वर्ग की लड़कियों को पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्‍यावसायिक प्रशिक्षण के माध्‍यम से सशक्‍त बनाना और उनकी सामाजिक स्‍थिति में सुधार लाना है।
13. **आंगनवाड़ी सेवा स्‍कीम** महिलाओं और बच्‍चों की पोषण संबंधी आवश्‍यकताओं को पूरा करने तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्‍चों के समग्र विकास के उद्देश्‍य से राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से चलाई जा रही है।
14. **राष्‍ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)** - 2017-18 से आरंभ किया गया पोषण अभियान सभी मंत्रालयों में पोषण संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी करने, पर्यवेक्षण करने, लक्ष्‍य निर्धारित करने और मार्गदर्शन करने के लिए शीर्ष संस्‍था है। लक्ष्‍यों के माध्‍यम से यह कार्यक्रम अवरूद्ध विकास, अल्‍प पोषण, रक्‍ताल्‍पता तथा जन्‍म के समय कम वजन वाले शिशुओं का स्‍तर घटाने का प्रयास करेगा।
15. **बाल संक्षरण सेवा स्‍कीम** शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश सृजित करने हेतु राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के माध्‍यम से कार्यान्‍वित की जा रही है।

 विभिन्‍न स्‍कीमों के तहत कर्नाटक को आबंटित/निर्मुक्‍त निधियों का विवरण अनुलग्‍नक के रूप में संलग्‍न है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**'महिलाओं एवं बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं' विषय पर श्री जी॰सी॰ चन्द्रशेखर द्वारा**

**दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1757 के उत्‍तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

(**रुपए लाख में**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र. सं.**  | **स्‍कीम का नाम**  | **आवंटित/निर्मुक्‍त निधियां**  |
|  |  | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** |
| **1.** | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्‍कीम  | 41.48 | - | 32.51 |
| **2.** | स्‍वाधार गृह स्‍कीम  | 67.94 | 461.95 | 560.73 |
| **3.** | उज्‍ज्‍वला स्‍कीम  | 265.66 | 235.52 | 329.27 |
| **4.** | कामकाजी महिला होस्‍टल  | - | - | 973.66 |
| **5.** | महिला शक्‍ति केंद्र\* | - | - | 10.8 |
| **6.** | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)\*\* | - | - | 10248.81 |
| **7.** | जेण्‍डर वजटिंग  | 2.43 | - | 5.62 |
| **8.** | महिला हेल्‍पलाइन  | 62.70 | - | - |
| **9.** | वन स्‍टॉप सेंटर  | 45.88 | 85.24 | 62.74 |
| **10.** | राष्‍ट्रीय शिशु गृह स्‍कीम  | 471.17 | 837.36 | 206.74 |
| **11.** | किशोरी स्‍कीम  | 3164.54 | 740.73 | 2466.93 |
| **12.** | आंगनवाड़ी सेवा स्‍कीम  | 96394.5 | 53686.6 | 92834.8 |
| **13.** | पोषण अभियान \*\*\* | - | - | 3351.05 |
| **14.** | बाल संरक्षण स्‍कीम  | 1845.24 | 3720.8 | 3272.45 |

 \*भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान एमएसके स्‍कीम को मंजूरी प्रदान की है।

 \*\*पीएमएमवीवाई 01.01.2017 से कार्यान्‍वित की जा रही है।

 \*\*\*पोषण अभियान 2017-18 से प्रभावी हुआ है।

 \*\*\*\*\*